[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 08/2023-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 01 फरवरी, 2023

सा.का.नि......(अ).– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2022, जो सा.का.नि. 328(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की सारणी III में, क्रम सं. 12 के सामने, स्तंभ (5) और (6) के अधीन की गई प्रविष्टियों के स्थान पर क्रमश: "10" और "4" प्रविष्टियां रखी जाएंगी;

2. यह अधिसूचना तारीख 2 फरवरी, 2023 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 334/03/2023-टीआरयू]

(विक्रम विजय वानेरे)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण - मूल अधिसूचना सं. 22/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 2022, जो सा.का.नि. 328(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 36/2022-सीमाशुल्क, तारीख 30 जून, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई थी, जो सा.का.नि. 489(अ), तारीख 30 जून, 2022 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।